न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 123/2014

1 धुड़ाराम दत्तक पुत्र मालिया उर्फ मालाराम आयु 50 साल जाति गुर्जर निवासी ढाणी लिलवां की तन मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी।

अपीलांट

बनाम

1 भानाराम पुत्र सुरजाराम
2 नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम
3 चोथुराम पुत्र सुरजाराम
4 सोना पुत्र हरनाथ जाति गुर्जर निवासीगण मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 298/2014 उनवानी धुड़ाराम बनाम भानाराम वगैरह तारीख आदेश 01.12.2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 298/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जमीन हाल खसरा नम्बर 1431 गैर मुमकिन चाह व उसमें स्थित कृषि विद्युत कनेक्शन के संबंध में पेश किया जो विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 01.12.2014 के द्वारा निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस पारित करने का आधार गलत दर्ज किया गया है। क्षेत्राधिकार के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर तथ्य व विधि की भुल की है। कानून से क्षेत्राधिकार का बिन्दु अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के स्तर पर तय नहीं किया जा सकता और ना ही इस स्तर पर तय नहीं किया जा सकता और ना ही इस स्तर पर क्षेत्राधिकार का विवाद किया जा सकता है। कृषि भूमि में स्थित चाह व उसमें स्थापित कृषि विद्युत संबंध इम्प्रुमेन्ट ऑफ होल्डींग है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर/कैम्प झुन्झुनूं

विवादित खसरा नम्बर में अपीलान्ट 1/4 हिस्से का सह खातेदार है और राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पिता के नाम की प्रविष्ठी है। उक्त गैर मुमकिन चाह में कृषि विद्युत संबंध स्थापित है जो रामनाथ सिंह व हरनाथ सिंह के नाम दर्ज है। उक्त कृषि विद्युत संबंध में भी अपीलान्ट का 1/4 हक हिस्सा है जिसका उपयोग व उपभोग अपीलान्ट करता रहा है रामनाथ सिंह व हरनाथ सिंह परिवार के कर्ता रहे इस कारण उनके अकेलों के नाम कृषि विद्युत संबंध स्थापित हुआ परन्तु 1/4 हिस्सा व उपयोग उपभोग अपीलान्ट का रहा है। अपीलान्ट के उक्त कथनों का खण्डन रेस्पोडेन्ट की तरफ से विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया इसके बावजूद भी विचारण न्यायायल ने क्षेत्राधिकार का आधार मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में तथ्य व विधि की भुल की है। दस्तावेजी साक्ष्य व प्लींडिग अपीलान्ट ने केस साबित किया है। अपीलान्ट का प्राईमाफेसी केस है सुविधा का संतुलन व अपार क्षति का बिन्दु भी अपीलान्ट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित चाह भूमि खसरा नम्बर 1431 व उसमें अवस्थित विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 2034–1607–0082 के 1/4 भाग आनुपातिक रूप से प्रार्थी को सिंचाई करने से नहीं रोके तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे, जिससे प्रार्थी को सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न हो, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही नौकर, रिश्तेदार, ऐजेन्ट आदि से करवाये। प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष सिंचाई के संदर्भ में है काश्त के संदर्भ में नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर